न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 78/2025 अपील (GCMS 2025/92)
पंजीयन दिनांक- 26/03/2025
निर्णय दिनांक- 30/03/2026

श्रीमती पुनीबाई पुत्री वेणीराम भाट पत्नि हीरालाल भट, निवासी कलडवास, हाल दारोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

-अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

-रेस्पोडेंट

उपस्थितिः-
1. श्री सुरेशपुरी गोस्वामी - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्त रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा-75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 36/2024 निर्णय दिनांक 29.01.2025

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 36/2024 निर्णय दिनांक 29.01.2025 के विरूद्ध दिनांक 24.03.2025 को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा-136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम -1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कलड़वास, पटवार हल्का कलड़वास में आराजी नम्बर 94, 951 कुल किता 2 रकबा 0.0550 हैक्टेयर भूमि वेणीराम भाट के खाते में दर्ज थी। वेणीराम भाट के स्वर्गवास के बाद बतौर वारिसान उपरोक्त भूमि का नामांतरकरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया, नामांतरकरण दर्ज के समय लिपिकीय त्रुटि की वजह से प्रार्थीया पुनीबाई के बजाय बोलते नाम इन्द्राबाई का नाम अंकन हो गया, जबकि इन्द्राबाई नाम की कोई पुत्री ही नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

36/2024 निर्णय दिनांक 29.01.2025 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.01.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- *"परिणामतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशपुरी गोस्वामी उपस्थित, रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.03.2026 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उनके पिता वेणीराम का स्वर्गवास वर्षो पूर्व हो गया था। बतौर वारिसान सजरे अनुसार उसके नाम पर नामांतरकरण दर्ज करते समय बोलते नाम इन्द्राबाई उल्लेखित कर दिया गया, जबकि पुनीबाई का नाम दर्ज होना चाहिए था, यानि इन्द्राबाई एवं पुनीबाई एक ही महिला है और वह वेणीराम की विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी है तथा इस संबंध में तहसीलदार, गिर्वा द्वारा मौके पर जाकर मौतबिरान से जानकारी लेने से ज्ञात हुआ कि इन्द्राबाई एवं पुनीबाई एक ही महिला है, जिसका विवाद दरौली, तहसील वल्लभनगर में हुआ है तथा मौका पर्चा अनुसार भी वेणीराम के कुल 8 वारिस दर्शित किये गये है, जिसमें भी पुनीबाई व इन्द्राबाई दोनों एक ही महिला दर्शाया गया है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 36/2024 निर्णय दिनांक 29.01.2025 अपास्त किया जाने बाबत निवेदन किया गया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 29.01.2025 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया गया है, जिस पर मनन उपरान्त न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि मूल पुरूष श्री वेणीराम भाट की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान के नाम जो नामान्तरकरण खोला गया उनमें उनके

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

पुत्र/पुत्रियों में इन्द्राबाई के नाम का अन्य संतानों व पत्नी के साथ बतौर पुत्री 1/8 हिस्से का अंकन किया गया जो आदिनांक बदस्तूर है। तत्पश्चात धारा-136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष आवेदन किया गया जिसमें गांव के मौतबिरान द्वारा इन्द्राबाई व पूनी बाई को एक ही व्यक्ति दर्शाया किन्तु दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में आवेदन दिनांक 29.01.2025 को निरस्त किया गया, जिससे अपील पेश हुई। प्रस्तुत अपील में श्री वेणीराम की अन्य छः संतानों द्वारा जरिए शपथ पत्र पूनीबाई व इन्द्राबाई को अपनी बहन होना स्वीकारते हुए दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बतलाया।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधाराने के लिए उपखण्ड अधिकारी को शक्ति प्रदान करती है। इसका दायरा खसरा नम्बर में लिपिकीय या तथ्यात्मक स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने तक सीमित है जिसका आधार साबिक राजस्व रेकार्ड है। प्रस्तुत प्रकरण में पुराने रेकार्ड में कहीं पर भी वांछित नाम का अंकन नहीं पाया जाता है, अपितु राजस्व रेकार्ड में मूल खातेदार की मृत्योपरान्त एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया (नामान्तरकरण) के जरिए वर्तमान इन्द्राज, राजस्व रेकार्ड में प्रदर्श हुए हैं। अतः इनका सुधार नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपनाई गई प्रक्रिया के परीक्षण उपरान्त ही किया जा सकता है। प्राथमिक कार्यवाही को आक्षेपित नहीं करना एवं मात्र परिणामतः किए गए इन्द्राज की दुरूस्ती मौखिक कथन के आधार पर चाहा जाना धारा-136, भू-राजस्व अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। उक्त पृष्ठभूमि में उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के आदेश दिनांक 29.01.2025 में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी वांछित अनुतोष हेतु वैधानिक प्रतिकार (appropriate legal remedy) हेतु स्वतंत्र है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर